

## अध्याय - 15

जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत भुगतान

दावों के प्रकार एवं दावा-प्रक्रिया

### 1. दावा

◌: दावा वह मांग है जिसे अनुबन्ध में निर्धारित वादे के अनुसार कम्पनी को पूरा करना चाहिए।

◌: मृत्यु-दावा बीमित जीवन की मृत्यु होने पर उत्पन्न होता है, जबकि विद्यमानता दावा एक या अधिक घटनाओं के कारण उत्पन्न हो सकता है।

◌: परिपक्वता या मृत्यु दावा या समर्पण की स्थिति में अनुबन्ध के अन्तर्गत बीमा संरक्षण समाप्त हो जाता है तथा उसके पश्चात पॉलिसी में कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं होता।

### 2. दावे हो सकते हैं -

(क) विद्यमानता लाभ दावे

(ख) मृत्यु दावे

### 3. दावों के प्रकार

(क) विद्यमानता लाभ भुगतान

(ख) पालिसी समर्पण

(ग) आरोग्य लाभ

(घ) परिपक्वता दावा

(ङ) मृत्यु दावा

◌: शीघ्र ( 3 पालिसी वर्षों से कम में ) मृत्यु दावा

◌: अ-शीघ्र ( 3 पालिसी वर्षों से अधिक में ) मृत्यु दावा

### 4. मृत्यु दावे के लिए जमा किए जाने वाले प्रपत्र

(क) नामिती द्वारा दावा-प्रपत्र

(ख) दाह-संस्कार का दफन प्रमाणपत्र

(ग) उपचार करने वाले चिकित्सक का प्रमाणपत्र

(घ) अस्पताल का प्रमाण-पत्र

(ङ) नियोक्ता का प्रमाण पत्र

(च) दुर्घटना के मामले में मृत्यु होने पर पुलिस की रिपोर्ट तथा कोर्ट की प्रमाणित प्रतियां।

